भरे जाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :

(क) पोस्टमैनों की संख्या 69

श्रेणी "घ" तथा पैकर 845

मंडलवार जानकारी अनुबंध में दी गई है [देखिए परिशिष्ठ CXLE, अनुपत्र सं० 71]

(ख) रोजगार कार्यालयों से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा :

पोस्टमैन	48	21
श्रेणी "घ" और पैकर	736	4

दिहाड़ी के 105 मजदूरों के मामले में जो कि रोजगार कार्यालय से नहीं आए हैं, उन्हें नियमित किया जा चुका है।

(ग) पोस्टमैन के संवर्ग में 31 अर्हता प्राप्त अतिरिक्त विभागीय एजेंट हैं। पद रिक्त होने पर उन्हें खपाया जाएगा।

Promotion of Rajasthani Language

1762. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have provided funds for the promotion of Rajasthani language during the Seventh Plan;

(b) if so, how much fund has been earmarked for this purpose; and

(c) what other steps have been taken for this purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) Under this Ministry's scheme of financial assistance for publication in Indian languages and in English, grant-in-aid is made available to individuals and organisations for publications in Hindi including Rajasthani and other dialects specified in the scheme. No separate funds are earmarked for constituents of Hindi language including Rajasthani.

Sahitya Akademi Award of Rs. 10,000 for each of the selected books in the Indian languages including Rajasthani as recognised by the Sahitya Akademi, New Delhi, is being awarded every year by the Sahitya Akademi. The Akademi has also been publishing informative material regarding literary activities in all Indian languages. The Akademi has recognised Rajasthani besides other languages for implementation of its programme.

दिल्ली क्षेत्र में डाकियों की रिक्तियां

1763. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में इस समय डाकियों की और समूह "घ" संवर्ग में डिवीजन-वार रिक्तियों की संख्या कितनी है और सेवा-निवृत्ति इत्यादि के बाद 31 दिसम्बर, 1987 तक उनकी संख्या कितनी हो जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों को अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में से भरने के लिए 1984 से अब तक कोई विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों को अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में से भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण संलग्न है [देखिए परिशिष्ट CXLT अनुपत्र सं० 72]

(ख) और (ग) दिनांक 27-5-1984 को पोस्टमैनों की परीक्षा आयोजित की गई थी। 1986 की दूसरी छमाही तक नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण, प्रत्येक यूनिट में अभी कुछ अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को खपाया जाना है। वैसे 11 जनवरी, 87 को श्रेणी-घ में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।